

ग्रामीण पेयजल सेक्टर में प्रशिक्षण और क्षमता संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय प्रमुख संसाधन केन्द्र (केआरसी) के लिए समर्थन

1. पृष्ठभूमि

हाल के वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर में कई नए मुद्दे तथा चुनौतियाँ उभर कर सामने आए हैं जैसे स्रोतों का स्थायित्व, प्रणाली, वित्तीय तथा संस्थागत, जल गुणवत्ता के मुद्दे, वातावरण को परिवर्तित करने में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकों की क्षमता, जलापूर्ति प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता आदि। इन उभरते हुए मुद्दों तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न हिस्सेदारों की क्षमताओं को सशक्त किया जाए ताकि वे अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से वहन कर सकें। दीर्घकालीन आधार पर सभी के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए हिस्सेदारों को अपने ज्ञान तथा सूचना तथा स्थानीय ज्ञान तथा पारंपरिक मान्यताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। ग्रामीण पेयजल सेक्टर में बढ़ते निवेश के साथ ही और निर्माण से जल सेवाओं के वितरण तक ध्यान में बदलाव के साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकों तथा पीआरआई की भूमिका भी बदल रही है।

इस प्रयास में इन मुद्दों पर कार्य करने के लिए, विभिन्न हिस्सेदारों को प्रशिक्षण देने और अन्य गतिविधियों में उनका क्षमता संवर्द्धन करने के लिए बड़े मान्यता प्राप्त तथा अनुभवी संस्थान को नियोजित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के नए दिशा-निर्देशों के प्रभावी होने के साथ-साथ यह आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसे कार्यों को करने के लिए ऐसी संस्थाओं को प्रमुख संसाधन केन्द्रों (केआरसी) के रूप में पहचाना जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा के सेक्टरल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षमता संवर्द्धन, विभिन्न हिस्सेदारों की पुनः स्थापना, ज्ञान तथा सूचना को प्रसारित करने, उत्तम रीतियों को प्रलेखबद्ध करने आदि के लिए एक राज्य से अधिक में नियोजित राष्ट्रीय केआरसी प्रमुख संस्थान होंगे।

2. आवश्यकता

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के आदर्शों में हाल ही में हुए परिवर्तन से मात्र बसावटों को कवर करने पर बल देने के बजाय घरेलू स्तर पर पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित

करने और मांग चालित दृष्टिकोण से मांग प्रबंधित दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। एनआरडीडब्ल्यूपी का लक्ष्य सशक्त, जागरूक तथा कुशल पंचायत और सभी स्तरों पर जलापूर्ति तथा जल संसाधन की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रचालन, रख-रखाव तथा प्रबंधन करने में सक्षम सहायक विभागीय कर्मचारी हैं। इससे ग्रामीण जलापूर्ति सैक्टर में प्रोत्साहित, कुशल तथा प्रशिक्षित कर्मिकों के बहुस्तरीय केंद्र का विकास होगा। सैक्टर विशेषज्ञों को आवश्यकता पर आधारित सेवा के दौरान प्रशिक्षण/विशेषज्ञों/अनुभवी सेवाओं के उपयोग के माध्यम से उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों, ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाकर जागरूक किया जाए।

3. केआरसी के उद्देश्य

- i. पीएचईडी अभियंताओं, पीआरआई प्रतिनिधियों, मास्टर ट्रेनरों तथा अन्य हिस्सेदारों के ज्ञान, कौशल तथा व्यवहार का उन्नयन।
- ii. सौंपी गई जिम्मेदारियों को प्रभावी तथा स्थायी तरीके से पूरा करने के लिए प्रशिक्षुओं को बौद्धिक तथा व्यावसायिक रूप से सशक्त करना।
- iii. व्यक्ति तथा संगठन के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक है कि कर्मिकों को अभिनव तकनीकों तथा अन्वेषणों और बढ़ाई गई व्यावसायिक ज्ञान और कौशल की अद्यतन जानकारी हो।
- iv. व्यावसायिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित तथा समर्थ बनाना।
- v. उभरते मुद्दों तथा चुनौतियों के साथ व्यवहारगत अनुस्थापन को बढ़ावा देना; ग्रामीण समुदाय के हक के प्रति सम्मान भाव रखना, ग्रामीण समुदाय के मुद्दों तथा समस्याओं पर बल देना और उन्हें पेयजल की सुविधाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंगकी प्रक्रिया में शामिल करना;
- vi. व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को प्रोत्साहन देना और जिस सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तथा राजनैतिक वातावरण में कार्यान्वयन किया जा रहा है उसमें जागृति लाना।
- vii. केन्द्र और राज्य स्तर पर शुरू की गई अन्य संबंधित कार्यक्रमों के साथ तालमेल के विषय में ज्ञान तथा कौशल को बढ़ाना।
- viii. संप्रेषण तथा क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू) की क्षमता को बढ़ाना।

4. कार्य:

- i. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसएलडब्ल्यूएम), पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) तथा संप्रेषण एवं क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू), गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, मास्टर ट्रेनरों आदि के कर्मचारियों और सदस्यों को नेतृत्व, प्रबंधन, प्रशासन, तकनीकी, सामाजिक आर्थिक, व्यवहारगत, वित्तीय, संविदागत तथा विधिक मुद्दों आदि के संबंध में विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर प्रेरक प्रशिक्षण, सेवा के दौरान प्रशिक्षण, अनुस्थापन तथा क्षमता विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- ii. विभिन्न हिस्सेदारों का उपयुक्त तथा लागत कुशल तकनीकों तथा कार्यान्वयन तंत्रों के संबंध में उनका क्षमता संवर्धन करना ताकि वे समुदाय की भागीदारी और स्रोत के स्थायित्व को बढ़ावा दे सकें।
- iii. अभिनव अन्वेषणों, औजारों तथा उत्तम रीतियों पर हिस्सेदारों को सहायक ज्ञान देना जिससे प्रभावी तथा कुशलता पूर्ण सेवा का वितरण हो सके और उसकी मॉनीटरिंग हो।
- iv. प्रशिक्षण तथा संप्रेषण योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्य के सीसीडीयू को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- v. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्यों (डीडब्ल्यूएसएम), ग्राम जल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएचएससी) के सदस्यों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्कूली कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा अन्य हिस्सेदारों के क्षमता संवर्धन द्वारा एनआरडीडब्ल्यूपी संबंधी जागरूकता तथा समझ को बढ़ाना।
- vi. कार्यक्रमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य के साथ परामर्श करके और टीएनए परिणामों के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा सामग्रियों को तैयार करना।
- vii. सेक्टर में नए विकास और प्रशिक्षुओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नियमित रूप से प्रशिक्षण सामग्रियों को अद्यतन करना।

5. चयन प्रक्रिया

प्रमुख संसाधन केंद्रों को पेयजलापूर्ति विभाग द्वारा उनके राष्ट्रीय स्थानीय अनुभव के, पहले के कार्यों तथा ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर में संबंधित संस्थाओं/संगठनों के ट्रेक रिकार्ड के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। ऐसे केन्द्रों को चयन करते वक्त राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे जा सकते हैं। प्रमुख संसाधन केन्द्र पांच वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएंगे। जब भी आवश्यकता हो नए संसाधन केन्द्र चुने जाएं।

विभाग तथा केआरसी के पास यह अधिकार होगा कि तीन महीने की अग्रिम सूचना के साथ वह किसी संस्था का केआरसी के रूप में पहचान रद्द करे और केआरसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह खातों/सौंपे गए कार्यों का समायोजन करे और विभाग को रिपोर्ट दे।

6. वार्षिक कार्य योजना

प्रत्येक प्रमुख संसाधन केन्द्र एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के मार्च में केआरसी के उद्देश्यों तथा कार्यों की पूर्ति में सहायता स्वरूप प्रस्तावित गतिविधियों का ब्यौरा हो, इसकी जांच तथा अनुमोदन पेयजलापूर्ति विभाग द्वारा किया जाएगा। अनुमोदन के बाद, आवश्यक निधियां दो किशतों में जारी की जाएगी। पेयजलापूर्ति विभाग द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुमोदन के बाद केआरसी को पेयजलापूर्ति विभाग की वेबसाइट पर प्रशिक्षण कैलेंडर अपलोड करेंगे (www.ddws.gov.in) और केआरसी विभिन्न हिस्सेदारों/अधिकारियों को भागीदारी/नामांकन के लिए उन्हें योजना बनाने और आवेदन करने में सहायता देगा।

6. वित्त पोषण

भारत सरकार राष्ट्रीय प्रमुख संसाधन केंद्रों को शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर निधियां देगी। वित्त पोषण ऐसे प्रत्येक केआरसी के लिए अनुमोदन एएपी के आधार पर दिए जाएंगे। वित्त पोषण निम्नलिखित कार्यों के लिए किए जाएंगे।

- i. राज्य तथा जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं, पीआरआई सदस्यों, मास्टर प्रशिक्षकों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, सीबीओ आदि के लिए प्रशिक्षण, अनुस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना।
- ii. राज्य के संप्रेषण तथा क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू) को तकनीकी मार्गदर्शन देना।

- iii. स्वच्छ पेयजल से संबंधित मुद्दों पर कार्यशालाएं, सेमीनार, परिचर्चा, गोलमेज चर्चा, कांफरेंस, बैठकें आयोजित करना।
- iv. केस अध्ययन, अध्ययन करने, अनुसंधान कार्य आदि के प्रलेखीकरण करना।
- v. क्षेत्र दौरे के लिए संसाधन केन्द्र के व्यावसायिकों तथा विशेषज्ञों के टीए/डीए, मानदेय, व्यावसायिक शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए।
- vi. कुल बजट के अधिकतम 10 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त देय कर, यदि कोई हो तो, के दर से प्रमुख संसाधन केन्द्रों का प्रशासनिक शुल्क देना।

8. निधियों की रिलीज

- i. पेयजलापूर्ति विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा जारी की गई निधियां किसी राष्ट्रीकृत बैंक में केआरसी के पृथक जमा खाते में रखी जाएं। इस विभाग द्वारा जारी की गई निधियों पर अर्जित ब्याज उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) तथा खातों की लेखा परीक्षा विवरण (एएसए) में दर्शाया जाए।
- ii. पंजीकृत चार्टर लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक आधार पर प्रमुख संसाधन केन्द्रों के खातों की लेखा परीक्षा की जाए। खाते की वार्षिक लेखा परीक्षा विवरण भारत सरकार को भेजी जाए।
- iii. प्रत्येक वर्ष केआरसी को जारी की गई निधियां 50 प्रतिशत प्रत्येक की दो किश्तों द्वारा रिलीज की जाएगी। केआरसी की वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदित होने के पश्चात रिलीजकी पहली किश्त जारी की जाएगी। केआरसी के पास उपलब्ध कुल निधियां जिसमें पिछले वर्ष का अथशेष, जारी निधियों की पहली किश्त, तथा उन पर अर्जित ब्याज के 60 प्रतिशत के उपयोग के आधार पर तथा रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण पत्र तथा खातों की लेखा परीक्षा विवरण (एएसए) के प्राप्त होने के पश्चात ही निधियों की दूसरी किश्त जारी की जाएगी।

9. कार्मिक

विभाग केआरसी में अतिरिक्त मानवबल का समर्थन नहीं करता है। तथापि, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमीनार आदि को चलाने के लिए उन्हें अपने द्वारा नियुक्त कार्मिकों को पाठ्यक्रम शुल्क/संस्थापित शुल्क जिसका उपयोग हो उसका भुगतान करने की अनुमति होगी।

10. कार्य की पद्धति

वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित प्रशिक्षण कैलेंडर को केआरसी तथा डीडीडब्ल्यूएस की वेबसाइट पर डाला जाए। व्यापक परिचालन और प्रशिक्षण हेतु नामांकन भेजने/अग्रेषित करने के लिए केआरसी द्वारा राज्य सचिवों, राज्य के इंजीनियर इन चीफ/मुख्य अभियंता, सीसीडीयू तथा एमआईआरडी के निदेशकों को इस संबंध में पत्र परिचालित किया जाए। किसी प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम प्रशिक्षु संख्या से दुगुने नामांकन मंगवाए जाएं ताकि न आने वालों का ध्यान दिया जा सके और प्रशिक्षुओं की कम से कम न्यूनतम संख्या द्वारा भागीदारी सुनिश्चित हो। इच्छुक व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेनेके लिए केआरसी को आवेदन की हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों की ऐडवांस प्रतियां भेज सकते हैं। अधिकारियों के मामले में नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा ही नामांकन भिजवाएं। राज्यों से नामांकन प्राप्त होने के बाद प्रमुख संसाधन केन्द्र प्रतिभागियोंको कोर्स के स्थान, उस स्थान पर पहुँचने का तरीका (विस्तृत स्थानीय नक्शेके साथ), यातायात की सुविधा, उनके अस्थायी आवासकी व्यवस्था तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत समय सारिणी की सूचना दे। प्रशिक्षण के प्रभावशाली परिणामों की प्राप्ति के लिए केआरसी पहले ही प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा की प्रति प्रतिभागियों को भेज दे और उनसे अनुरोध करे कि चर्चा में भाग लेकर तथा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करने के लिए वे तैयार रहें।

केआरसी यह सुनिश्चित करे कि तैयार की गई तथा प्रतिभागियों के बीच परिचालित प्रशिक्षण सामग्रियां उच्च कोटि की तथा मानकीकृत हों।

प्रशिक्षण के पहले दिन प्रतिभागियों से प्रशिक्षण से आशाएं तथा अंतिम दिन फीडबैक अवश्य लें। भाषण देने की पद्धति के बदले प्रतिभागियों के बीच संवादात्मक तथा भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण, अनुभव साझा करने, पीयर लर्निंग और ब्रेनस्टारमिंग सत्रों जैसी तकनीकों पर अधिक बल दें।

प्रतिभागियों को उनके द्वंद मिटाने, टिप्पणी तथा टीका करने के लिए प्रोत्साहित करके सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उपस्थित प्रतिभागी एक कार्य योजना तैयार करें और उसे केआरसी को प्रस्तुत करें कि किस प्रकार वे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए गए ज्ञान को अपने कार्यों से जोड़ेंगे। केआरसी प्रशिक्षण के विषय से संबंधित क्षेत्र दौरो की योजना बनाएं। केआरसी संसाधन

व्यक्ति के रूप में प्रख्यात तथा अच्छे अनुभवी व्यक्तियोंको आमंत्रित करें और यह सुनिश्चित करेंकि बाह्य तथा आंतरिक संसाधक व्यक्तियों दोनों का ही सहयोग रहे।

प्रशिक्षुओं से प्राप्त हुए फीडबैक और नए विकास के आधार पर प्रत्येक वर्ष/छ: महीनोंमें प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय को अद्यतन करें। बाह्य संसाधन एजेंसी/कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसकी शक्तियों तथा व्यक्तियों का नियमितमूल्यांकन करें।

11. ग्रामीण पेयजलापूर्ति सैक्टर के लिए प्रमुख संसाधन केंद्रों (केआरसी) द्वारा उठाई गई विभिन्न गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए लागत के मानदंडों का विवरण अनुलग्नक-1 पर दिया गया है।

i. गैर रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम

गैर-रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षु कुल व्यय 2000/- रुपये से अधिक न हो जिसमें रहने का खर्च, पाठ्यक्रम शुल्क, संसाधन किट, सामग्रियां और अन्य खर्च शामिल हों। गैर-रिहायशी पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम 30 प्रतिभागी सुनिश्चित किया जाए।

प्रमुख संसाधन केन्द्र संस्थागत शुल्क के रूप में कुल कार्यक्रम लागत का 10 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यह उच्चतम सीमा और सटीक लागत ब्रेकअप, प्रत्येक कार्यक्रम के लागत के आधार पर आधारित है।

ii. रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला तथा राज्य स्तरीय सभी प्रशिक्षुओं को अच्छी गुणवत्ता वाले होस्टल आवास अथवा होटल/अतिथि गृह में आवास प्रदान किया जाएगा। रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षु 3500/- रुपए से अधिक खर्च नहीं किया जाए जिसमें ठहरने और खाने पीने, पाठ्यक्रम शुल्क, संसाधन किट, सामग्रियां तथा अतिरिक्त खर्च शामिल हों। रिहायशी प्रशिक्षणों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिभागी सुनिश्चित किए जाएं।

प्रमुख संसाधन केन्द्र संस्थागत शुल्क के रूप में कुल कार्यक्रम लागत का 10 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यह उच्चतम सीमा और सटीक लागत ब्रेकअप, प्रत्येक कार्यक्रम के लागत के आधार पर आधारित है।

iii. तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए राज्य अथवा जिला का दौरा करने के लिए संसाधन व्यक्तियों द्वारा देश के भीतर की यात्रा

कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन और कार्य योजना से संबंधित अन्य कार्यों के लिए प्रशिक्षण देने और संप्रेषण योजना तैयार करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु राज्यों और जिलों में प्रमुख संसाधन व्यक्तियों द्वारा दौरा किया जाना अपेक्षित है। राज्य सीसीडीयू और जिलों तथा अन्य कार्यों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु प्रति दौरे के लिए अधिकतम 50000/- रुपए की अनुमति है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 75000/- रुपए की है। किसी राज्य में वर्ष में 3 बार से अधिक दौरा नहीं किया जाए। इस कार्य हेतु केआरसी से दो विशेषज्ञ पात्र होंगे जो 800 किलोमीटर से कम की यात्रा के लिए एसी 2 टियर/800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए इकानॉमी वायुभाड़ा के पात्र होंगे और प्रतिदिन 1500/- रुपए की दर से होटल आवास, शहर के भीतर प्रति डीएम 150 /- रुपए तक की टैक्सी शुल्क तथा प्रतिदिन अधिकतम 200/- रुपए तक के उनके खाने के बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए संस्थागत शुल्क के रूप में केआरसी को प्रति संसाधन व्यक्ति प्रति दिन 2500/- रुपए का भुगतान किया जाएगा।

iv. राज्य मुख्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना

राज्यों ने अधिकतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन मुख्य संसाधन केन्द्रों द्वारा किया जाता है जिनके संसाधन व्यक्तियों को संबंधित राज्यों में जाना होगा। इस कार्य के लिए संसाधन व्यक्ति व्यावसायिक शुल्क के रूप में 1000/- रु. के पात्र होंगे। संसाधन व्यक्ति 800 किलोमीटर की दूरी तक के लिए एसी 2 टियर/800 किलोमीटर से अधिक तक की दूरी के लिए इकोनॉमी वायुभाड़ा के पात्र होंगे और प्रतिदिन 1500/- रुपए तक का होटल आवास, शहर के भीतर प्रति डीएम 150/- रु. तक का टैक्सी शुल्क और प्रति दिन 200 रुपए तक के खाने के बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी। केआरसी को प्रति संसाधन व्यक्ति प्रति दिन 2500/- रुपए का संस्थागत शुल्क दिया जाएगा।

v. प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना

प्रशिक्षण कार्यक्रम देने वाले केआरसी द्वारा आंतरिक रूप से अथवा बाह्य विशेषज्ञों की सहायता से प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे और इसके लिए प्रति मॉड्यूल अधिकतम 50000/- रुपए दिए जाएंगे, तथापि प्रत्येक मामले में मामला दर मामला और संबंधित कार्य के अनुपात के आधार पर राशि का निर्धारण किया जाएगा।

vi. कार्यशालाएं/सेमीनार/परामर्श आदि आयोजित करना

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यशालाओं, सेमीनार आदि को आयोजित करने के लिए प्रमुख संसाधन केंद्रों को समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में अनुमत राशि अनुलग्नक-1 पर दी गई है।

vii. बाह्य संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों को शामिल करना

विशेष प्रशिक्षण और क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों के लिए, सीसीडीयूहेतु प्रशिक्षण और संप्रेषण योजना तैयार करने के लिए, प्रशिक्षण मॉड्यूल, कांफरेंस, सेमीनार आदि को अंतिम रूप देने के लिए बाह्य संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। प्रमुख संसाधन केंद्रों द्वारा क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों की सूची तैयार की जाए और उसकी प्रति पेयजलापूर्ति विभाग को उपलब्ध कराई जाए जो मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों को शामिल करने के लागत मानदंड तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए राज्यों का दौरा करने हेतु लागत मानदंडों पर निर्भर करते हैं।

viii. केस अध्ययन, उत्तम रीतियों, मूल्यांकन अध्ययनों तथा अन्य दस्तावेजों का प्रलेखीकरण

केआरसी को प्रति अध्ययन अधिकतम 5,00,000/- रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक मामले पर संबंधित कार्य के अनुपात के आधार पर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के दौरान केआरसी के साथ परामर्श से विभाग द्वारा प्रत्येक मामले के अन्य प्रलेखीकरण आदि के लागत का निर्धारण किया जाएगा।

12. रिपोर्टिंग तंत्र

केआरसी अनुलग्नक-॥ पर दिए गए प्रोफार्मे में प्रशिक्षण, क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम, कार्यशालाओं आदि पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

13. समीक्षा तंत्र

पेयजलापूर्ति विभाग द्वारा केआरसी की वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

अनुलग्नक -I

ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर के लिए केआरसी की विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तपोषण के लिए लागत के मानदंड

क्र.सं.	गतिविधियाँ	अनुमत राशि (रुपयों में)
गैर-रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	गैर-रिहायशी प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन (पाठ्यक्रम शुल्क, किट, भोजन तथा नाश्ता, उपरी खर्च)	2000/-
रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	रिहायशी प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन (पाठ्यक्रम शुल्क, किट, ठहरने तथा खाने की व्यवस्था, उपरी खर्च)	3500/-
संसाधन व्यक्ति द्वारा देश के भीतर दौरा		
1.	संसाधन व्यक्ति द्वारा देश के भीतर दौरा	800 किलोमीटर की दूरी के लिए एसी 2 टियर/800 किलोमीटर से अधिक के लिए इकोनॉमी किराया+प्रतिदिन 1500/- रुपए तक का होटल किराया की स्थानीय भत्ता के रूप में प्रतिपूर्ति की जाए, शहर के भीतर यात्रा हेतु प्रति डीम 150/- का टैक्सी शुल्क और निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिदिन 200 रुपए तक का खाने का बिल+ प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए 2500/- रुपए प्रतिदिनका संस्थागत शुल्क।
राज्य मुख्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	राज्य मुख्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु	1000/- रुपए व्यावसायिक शुल्क+800 किलोमीटर के भीतर की दूरी के लिए एसी 2 टीयर/800

		किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए इकोनॉमी वायुभाड़ा+स्थानीय भत्ता+प्रतिदिन 1500/- रुपए का भत्ता+प्रति संसाधन व्यक्ति प्रति दिन 2500 रुपए का संस्थागत शुल्क
प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना		
1	प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना	50000/- (अधिकतम सीमा, तथापि प्रत्येक मामले में राशि का निर्धारण कार्य की मात्रा के आधार पर प्रत्येक मामले पर निर्धारित किया जाए।
कार्यशाला/कांफरेंस/सेमीनार/वार्तालाप आदि		
1	2 दिवसीय कार्यशाला हेतु 100-150 प्रतिभागियों के लिए दो दिनों की राष्ट्रीय कार्यशाला	5,00,000/-
2	2 दिवसीय कार्यशाला हेतु 75-100 प्रतिभागियों के लिए दो दिनों की क्षेत्रीय कार्यशाला	3,00,000/-
3	2 दिवसीय कार्यशाला हेतु 60-100 प्रतिभागियों के लिए दो दिनों की राज्य स्तरीय कार्यशाला	2,00,000/-
	एक दिवसीय कार्यशाला अथवा प्रस्तावित प्रतिभागियों की कम संख्या की स्थिति में व्यय को यथानुपात में घटाया जाएगा।	
बाह्य संसाधन/विशेषज्ञों को शामिल करना		
1.	बाह्य संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ	प्रत्येक विशेष बैठक, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 50000/- रुपए जिसमें यात्रा की लागत, रहने तथा खाने तथा मानदेय आदि शामिल हों। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75000/- रु. 1. प्रत्येक मामले के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार

		2. बाह्य संसाधन व्यक्ति तथा विशेषज्ञ के नाम व पते के विषय में केआरसी द्वारा सूचना देने के बाद और व्यय के लेखापरीक्षित विवरण को प्रस्तुत करने के बाद ही टीए/डीए जैसे मुद्दे पारित होंगे।
केस अध्ययन, उत्तर रीतियों, मूल्यांकन तथा अन्य दस्तावेजों का प्रलेखीकरण		
1.	केस अध्ययन, उत्तर रीतियों, मूल्यांकन तथा अन्य दस्तावेजों का प्रलेखीकरण	5,00,000/रु. (प्रत्येक अध्ययन की उच्चतम सीमा) संबद्ध कार्य के अनुपात के आधार पर विभाग द्वारा प्रत्येक मामले पर विचार किया जाए।

अनुलग्नक-॥

प्रमुख संसाधन केंद्र-रिपोर्ट देने का प्रोफार्मा

प्रशिक्षण, पुनःअनुस्थापन, क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम, कार्यशाला, गतिविधि, अध्ययन आदि का नाम	स्थान	तिथि	दिनों की संख्या	भागीदारों की श्रेणी	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	विषय/क्षेत्र	किया गया व्यय	परिणाम
---	-------	------	-----------------------	------------------------	--	--------------	---------------------	--------